to be observed by various Central Government employees; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (c) Existing instructions envisage various measures for enforcement of punctuality. In accordance with these instructions, suitable measures for enforcement of punctuality are to be evolved by the Head of Office/Department keeping in view the broad objectives and general instructions in the matter. Information relating to enforcement of punctuality and discipline in various offices is not centrally monitored/available.

दानिक्स अधिकारियों की मांगें

3309. **श्री ओम प्रकाश कोहली:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "दानिक्स ऑफीसर्स अप इन आर्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो "दानिक्स" अधिकारियों की मांगें क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली में कार्यरत "दानिक्स" संवर्ग के अधिकारियों ने जुलाई के प्रथम सप्ताह से काम बंद करने की योजना बनाई है; और

(घ) इन मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने ऐसे अधिकारियों को काम बंद करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (दानिक्स) के अधिकारी अपनी सेवा से संबंधित वेतन और ग्रेड के ढांचे के बारे में पांचवे केन्द्रीय वेतन-आयोग द्वारा की गई सिफारिशें क्रियान्वित किए जाने की मांग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-सरकार ने सूचित किया था कि दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (दानिक्स) के अधिकारियों ने जुलाई 01, 1998 से तीन दिन के सामूहिक अवकाश पर चले जाने की योजना बनाई थी, परंतु अन्ततोगत्वा उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी, सरकार ने दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स) के अधिकारियों की मांगों पर ध्यान दिया है।

Protest from Trade Unions against Abolition of Posts

3310. **SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:**
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Indian National Trade Union Congress and other trade unions have warned Government against the crippling effect that Government's decision to abolish the 3.5 lakh vacant posts, would have on the country's economy;

(b) if so, the details of their representations; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) and (b) Yes Sir. The demand for not accepting the recommendations of the Fifth Pay Commission regarding abolition of 3.5 lakh vacant posts was one of the 15-point charter of demands submitted by the Staff Side for consideration of the Government, consequent upon the submission of the Pay Commission's Report.

(c) No general decision has been taken on the recommendation of the Fifth Central Pay Commission for abolishing posts under the Government. Matters relating to abolition or creation of posts are decided on the basis of merits and need.

मध्य प्रदेश कैडर के आई०ए०एस० अधिकारियों की पदोन्नति

3311. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा से कितने अधिकारी आई०ए०एस० संवर्ग में पदोन्नत हुए; उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं;

(ख) कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित थी;

(ग) कितने प्रकरणों में विभागीय जांच पूर्ण किए बिना जांच समाप्त कर दी गयी थी और पदोन्नति दे दी गई थी; और

(घ) क्या ऐसे सभी लोग पूर्णरूप से निर्दोष थे, जिनके विरुद्ध जांच समाप्त कर दी गई थी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) और (ख) पिछले दस वर्ष के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नत हुए मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या में और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधिकारियों की संख्या एवं उन अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है, (नीचे देखिए) जिन्हें उनके खिलाफ विभागीय जांच-पड़ताल के लंबित होने के कारण प्रवर-सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

(ग) इस बारे में संगत नियमों के अनुसार, प्रवर-सूची में अनंतिम रूप से शामिल किसी ऐसे अधिकारी, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच-पड़ताल लंबित हो, की पदोन्नति पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब उसके खिलाफ विभागीय जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर, प्रवर-सूची की वैधता की अवधि के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य-सरकार की संस्तुति के आधार पर, अधिकारी का नाम प्रवर सूची में बिना शर्त शामिल कर दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा पहले, प्रवर सूची में अधिकारी की अवस्थिति बिना शर्त घोषित करने के बारे में संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित होता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण सूचना एवं रिकार्ड के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग, प्रवर सूची में संबंधित अधिकारी की अवस्थिति "अनंतिम" से "बिना शर्त" करने के संबंध में मामले के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय करता है। तत्पश्चात्, प्रवर-सूची में इस प्रकार बिना शर्त शामिल किए गए अधिकारी की नियुक्ति के बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार, ऐसे अधिकारी की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति को अधिसूचित करती है। इस प्रकार यदि ऐसा कोई मामला रहा है जिसमें विभागीय जांच-पड़ताल का कार्य पूरा किए बिना जांच समाप्त कर दी गई, तो वह राज्य सरकार से संबद्ध था। तथापि, प्रवर-सूची में शामिल कोई भी अधिकारी तब तक पदोन्नत नहीं किया जाता जब तक कि राज्य सरकार द्वारा सेवा में उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव भेजते समय अधिकारी के पक्ष में "कार्य-निष्पादन में गुणह्रास नहीं" हुआ है, के आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए।

(घ) **प्रवर सूची में अनंतिम रूप से शामिल राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल का केन्द्र सरकार से कोई वास्ता नहीं होता।** प्रवर सूची में, अनंतिम रूप से शामिल अधिकारियों को बिना शर्त शामिल करने की प्रक्रिया, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए संगत महत्वपूर्ण रिकार्ड की छान-बीन करने के पश्चात् निष्पादित करता है। ऐसे अधिकारियों की उम्मीदवारी के आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही उनके मामले केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के विचारार्थ उपयुक्त ठहरते हैं। ऐसा करते समय प्रवर सूची में अधिकारी का नाम शामिल किए जाने की तारीख और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी के "कार्य-निष्पादन में गुणह्रास नहीं" आया है के आशय का प्रमाण पत्र ले लेना सुनिश्चित किया जाता है। यहां तक कि, किसी भी अधिकारी का नाम प्रवर-सूची में शामिल किए जाने हेतु मामले पर विचार किए जाने के क्रम में उसके पक्ष में असंदिग्ध सत्यनिष्ठा के प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है।